

45

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

कैलाश चन्द्र शर्मा

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

आर.ए.एस.

63/2018/प्रा.पत्र/2018

20.12.2018

तारीख निर्णय

09.05.2019

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री महेश कुमार पारीक पुत्र बद्दीनारायण पारीक जाति पारीक निवासी घाटी वालो का मोहल्ला निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स कृष्णा रिसोर्ट एण्ड गार्डन रिसोर्ट वनस्थली रोड निवाई जिला टोंक राज0
- 2- मैसर्स कृष्णा रिसोर्ट एण्ड गार्डन रिसोर्ट वनस्थली रोड निवाई जिला टोंक राज0

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26

(2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51(सहपठित धारा 49)

उपरिथत-

1-प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2-अप्रार्थी उपरिथत

:—निर्णय—:

दिनांक 09.05.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.07.2018 को समय 3.00 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स कृष्णा रिसोर्ट एण्ड गार्डन रिसोर्ट वनस्थली रोड निवाई जिला टोंक राज0पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. एवं प्रोपरायटर की हैसियत से महेश कुमार पारीक पुत्र बद्दीनारायण पारीक जाति पारीक निवासी घाटी वालो का मोहल्ला निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स कृष्णा रिसोर्ट एण्ड गार्डन रिसोर्ट वनस्थली रोड निवाई जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपरिथत मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में फ्रीज में स्टील की टंकी में दही(मिश्रित दूध से निर्मित) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री महेश कुमार पारीक को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता महेश कुमार पारीक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में दही(मिश्रित दूध से निर्मित) के 6-7 किलोग्राम में से 800 ग्राम दही(मिश्रित दूध से निर्मित)का चयन किया वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये में से 800 ग्राम दही(मिश्रित दूध से निर्मित) वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री महेश कुमार पारीक को रु0 80/-अक्षरे अस्सी रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपरिथत गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा दही(मिश्रित दूध से निर्मित) 800 ग्राम चार साफ एव सूखी कांच की शिशियो में बन्द कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.आ. कोड एवं क्रमांक I-1942 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

776



चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-1942 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. महेश कुमार पारीक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/2742 दिनांक 12.10.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/364/एक्ट/2018/369 दिनांक 24.07.2018 अनुसार महेश कुमार पारीक से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया दही(मिश्रित दूध से निर्मित) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक (Sub-Standard) स्तर का दही(मिश्रित दूध से निर्मित) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस दही(मिश्रित दूध से निर्मित) का विक्रय कर रहा था वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया दही(मिश्रित दूध से निर्मित) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49)के तहत अप्रार्थी श्री महेश कुमार पारीक पुत्र बद्रीनारायण पारीक जाति पारीक निवासी घाटी वालो का मोहल्ला निवाई जिला टॉक एफ.बी.ओ. मैसर्स कृष्णा रिसोर्ट एण्ड गार्डन रिसोर्ट वनस्थली रोड निवाई जिला टॉक राज0 पर शास्ती 5,000/- (अक्षरे पांच हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 09.05.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0